मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 30.06.2024

थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का इनामियाँ पांचवां अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट की घटना से सम्बन्धित आभूषण व नगदी बरामद —

थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 15.01.2024 को वादी अजीत कुमार केशरी पुत्र स्व0 महावीर केशरी निवासी दारानगर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गयी की वादी एवं उसके भाई द्वारा कलवारी बाजार में स्थित दुकान को बन्द कर घर आते समय रास्ते में चार पहिया वाहन से ओवर टेक कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर, गोली चलाकर ₹ 30000/- नगदी व आभूषण से भरा बैग छीन लिया गया था। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-05/2024 धारा 394,427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। थाना मड़िहान पर पंजीकृत उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पूर्व में ₹ 25-25 हजार के इनामियां दो अभियुक्तों सहित चार को गिरफ्तार कर लूट की घटना से सम्बन्धित आभूषण का वजन 6.712 किग्रा(सफेद धातु) व आभूषण 55.69 ग्राम (पीली धातु) कीमती करीब ₹ 08 लाख एवं लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय जिंदा व खोखा कारतूस तथा कार व मोटरसाइकिल की बरामद की जा चुकी हैं।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में उपरोक्त घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु थानाध्यक्ष मड़िहान को निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-05/2024 धारा 395,397,412,427 भादवि की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक:30.06.2024 को थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं भौतिक/इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलित करते हुए प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मड़िहान क्षेत्र से ₹ 25 हजार के इनामियां पांचवें अभियुक्त-बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोविन्द पुत्र स्व0बासदेव चौधरी निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की घटना से सम्बन्धित एक अदद अंगूठी व एक अदद लॉकेट(पीली धातु) तथा ₹ 1500/- नगद बरामद किया गया। थाना मड़िहान पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोविन्द द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

बांके उर्फ बंगा चौधरी उर्फ शिव गोविन्द पुत्र स्व0बासदेव चौधरी निवासी लेवड़ा थाना नोखा जनपद रोहतास बिहार, उम्र करीब 52 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

- एक अदद अंगूठी, वजन-02.41 ग्राम(पीली धातु)
- एक अदद लॉकेट, वजन-01.00 ग्राम(पीली धातु)
- नगद ₹ 1500/-

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-05/2024 धारा 395,397,412,427 भादवि थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

चुनार-राजगढ़ तिराहा के पास से, आज दिनांक:30.06.2024 को समय 09.25 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह थाना मड़िहान मय पुलिस टीम।
वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजेश सिंह थाना मड़िहान मय पुलिस टीम।
निरीक्षक राजीव सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।